**भारत सरकार**
**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय**
**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग**

**लोक सभा**
**तारांकित प्रश्न संख्या: *492**
**04 अप्रैल, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर**

**प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन**

***492. श्री मुकेश राजपूतः**
**श्री मनोज तिवारीः**

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (पीएम-एबीएचआईएम) की शुरुआत से लेकर इसके अंतर्गत फरवरी, 2025 तक असम, छत्तीसगढ़, राजस्थान, महाराष्ट्र और विशेषकर हरियाणा के भिवानी-महेंद्रगढ़ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र सहित राज्यवार कितनी धनराशि आवंटित और व्यय की गई है;

(ख) उक्त मिशन के कार्यान्वयन के लिए महाराष्ट्र सहित देश भर में राज्यवार क्या समय-सीमा तय की गई है;

(ग) आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (एबीडीएम) के अंतर्गत फरवरी 2025 तक देश में राज्यवार और जिलावार तथा कर्नाटक के बेंगलुरु, विशेषकर छत्तीसगढ़ के महासमुंद, धमतरी और गरियाबंद जिलों और हरियाणा के भिवानी-महेंद्रगढ़ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में कुल कितने आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाते (एबीएचए) बनाए गए हैं और हेल्थकेयर प्रोफेशनल रजिस्ट्री (एचपीआर) पोर्टल पर कितने स्वास्थ्य सेवा पेशेवर पंजीकृत हैं और स्वास्थ्य सेवा सुविधाएं कितनी हैं;

(घ) क्या सरकार ने भविष्य में संभावित महामारी से निपटने के लिए देश में स्वास्थ्य ढांचे को विकसित/मजबूत करने के लिए कोई कदम उठाए हैं और यदि हां, तो विशेषकर महाराष्ट्र सहित तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ङ) सरकार द्वारा उठाए गए / उठाए जा रहे इन उपायों से विशेषकर महाराष्ट्र सहित देश में भविष्य में स्वास्थ्य संकट की स्थिति से निपटने हेतु तैयारियों में किस प्रकार वृद्धि होने की संभावना है;

(च) देश के ग्रामीण और दूरदराज/अल्पविकसित क्षेत्रों विशेषकर महाराष्ट्र में स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार के लिए उक्त मिशन की पहुंच सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(छ) आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन को लागू करने में क्या चुनौतियां हैं और उनका समाधान करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

**उत्तर**

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री**
**(श्री जगत प्रकाश नड्डा)**

(क) से (छ): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

**04 अप्रैल, 2025 के लिए लोक सभा तारांकित प्रश्न सं.*492 के उत्तर में उल्लिखित विवरण**

(क) और (ख): प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (पीएम-एबीएचआईएम) केंद्रीय क्षेत्र के कुछ घटकों (सीएस) वाली एक केंद्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) है, जिसका **योजना अवधि (2021-22 से 2025-26 तक)** के लिए 64,180 करोड़ रुपये का परिव्यय है। इसे भारत सरकार द्वारा देश में स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और भविष्य में संभावित महामारी से निपटने के लिए प्रारंभ किया गया है। योजना के सीएसएस घटक के तहत, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वित्त वर्ष 2021-22 से 2024-25 तक के लिए **20451.31 करोड़ रुपये** की प्रशासनिक मंजूरी दी गई है। चार वर्षों (अर्थात वित्त वर्ष 2021-22 से 2024-25 तक) के लिए पीएम-एबीएचआईएम के सीएसएस घटक के तहत सभी घटकों के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को दी गई मंजूरी के साथ-साथ प्रदान की गई सहायता का विवरण **अनुलग्नक-I** में है।

हरियाणा के भिवानी और महेंद्रगढ़ प्रत्येक जिले में 50 बिस्तरों वाले एक-एक क्रिटिकल केयर ब्लॉक (23.75 करोड़ रुपये की लागत से) और एक-एक एकीकृत जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला (1.25 करोड़ रुपये की लागत से) के लिए मंजूरी दी गई है।

पीएम-आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (पीएम-एबीएचआईएम) के केंद्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) घटक के तहत इसकी शुरुआत से लेकर फरवरी, 2025 तक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार केंद्रीय निर्गत राशि और इस पर हुआ व्यय **अनुलग्नक-II** में दिया गया है।

(ग): **आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता (एबीएचए)-** 28 फरवरी 2025 तक देश में बनाए गए एबीएचए, हेल्थकेयर प्रोफेशनल रजिस्ट्री (एचपीआर) पोर्टल पर पंजीकृत स्वास्थ्य परिचर्या पेशेवरों और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (एबीडीएम) के तहत नामांकित स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों की कुल संख्या **अनुलग्नक-III** में दी गई है।

आगे जिलावार विवरण निम्नलिखित लिंक पर देखा जा सकता है:

https://dashboard.abdm.gov.in/

(घ) से (च): योजना के सीएसएस घटक के तहत देश भर में, खास तौर पर ग्रामीण और अल्पसेवित क्षेत्रों में स्वास्थ्य परिचर्या के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने का प्रावधान किया गया है। योजना के घटक में जमीनी स्तर पर स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं की पहुँच सुनिश्चित करने के लिए **17,788 भवन-रहित उप-केंद्र - आयुष्मान आरोग्य मंदिरों (एएएम)** की स्थापना, शहरी क्षेत्रों में **झुग्गी-झोपड़ियों** में सेवा देने पर विशेष ध्यान देते हुए **11,024 एएएम की स्थापना,** ब्लॉक स्तर पर आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान करने के **लिए 3,382 ब्लॉक जन**

**स्वास्थ्य इकाइयों (बीपीएचयू)** की स्थापना शामिल है। नैदानिक सेवाओं को मजबूत करने के लिए **730 एकीकृत जन स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं (आईपीएचएल)** की स्थापना का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा, 5 लाख से अधिक आबादी वाले जिलों के लिए **602 क्रिटिकल केयर ब्लॉक (सीसीबी)** का प्रावधान किया गया है, ताकि आपातकालीन और गहन स्वास्थ्य परिचर्या की बेहतर सेवाएँ सुनिश्चित की जा सकें।

योजना के सीएस घटक के अंतर्गत प्रमुख प्रावधानों में केंद्रीय अस्पतालों में 150 बिस्तरों वाले क्रिटिकल केयर ब्लॉकों, महानगर निगरानी इकाइयों (एमएसयू), जैव सुरक्षा स्तर 3 (बीएसएल-3) प्रयोगशालाओं, राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र (एनसीडीसी) की राज्य और क्षेत्रीय शाखाओं, स्वास्थ्य आपातकालीन संचालन केंद्रों (एचईओसी) और निगरानी के लिए एकीकृत स्वास्थ्य सूचना पोर्टल (आईएचआईपी) की स्थापना शामिल हैं।

पीएम-एबीएचआईएम के सीएसएस घटक के तहत, महाराष्ट्र राज्य के लिए 1077.53 करोड़ रुपये की राशि के साथ 36 एकीकृत जन स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं और 36 क्रिटिकल केयर ब्लॉकों की स्थापना का प्रावधान किया गया है। इस कार्यनीतिक निवेश से विशेष रूप से ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण नैदानिक और आपातकालीन स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं की पहुंच में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। इन सुविधाओं के कार्यान्वयन से महामारी और अन्य जन स्वास्थ्य आपात स्थितियों के दौरान महाराष्ट्र की तैयारियों और अनुक्रिया क्षमताओं को बल मिलेगा।

(छ): स्वास्थ्य और अस्पताल राज्य के विषय हैं, इन योजनाओं के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। इसके अलावा, पीएम-एबीएचआईएम अवसंरचनात्मक विकास की योजना है जिसका उद्देश्य जन स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों को मजबूत करना है और इसके आधारभूत कार्य में लंबा समय लगता है। राज्य द्वारा बताया गया है कि साइट का चयन, कार्यान्वयन एजेंसियों की पहचान, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) की तैयारी तथा निविदा-प्रक्रिया और संविदा प्रदान करने जैसे कार्यों के लिए अधिक समय की आवश्यकता होती है।

योजना के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में परियोजना प्रबंधन इकाई स्थापित करने के लिए सहायता का प्रावधान किया गया है, ताकि पर्याप्त सहायता और समन्वय प्रदान किया जा सके। इसके अलावा, प्रगति की समीक्षा के लिए नियमित बैठकें और सम्मेलन आयोजित किए जाते हैं। प्रगति निगरानी प्रणाली डैशबोर्ड के माध्यम से योजना की अद्यतन प्रगति की निगरानी भी की जाती है।

चार वर्षों (अर्थात वित्त वर्ष 2021-22, 2022-23, 2023-24 और 2024-25) के लिए राज्यवार अनुमोदन

1. भवन रहित-एएएम (उपकेंद्र-आयुष्मान आरोग्य मंदिर)

| क्र.सं. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | स्वीकृतियां वित्त वर्ष 2021-22 से 2024-25 (4 वर्ष) | |
|---|---|---|---|
| | | 4 वर्षों के लिए स्वीकृत कुल इकाइयाँ | कुल स्वीकृत राशि (करोड़ रु.में) |
| 1 | आंध्र प्रदेश | 1786 | 535.80 |
| 2 | असम | 768 | 399.59 |
| 3 | बिहार | 2546 | 1413.04 |
| 4 | झारखंड | 893 | 495.61 |
| 5 | मणिपुर | 64 | 35.52 |
| 6 | मेघालय | 151 | 83.8 |
| 7 | ओडिशा | 604 | 278.14 |
| 8 | राजस्थान | 1112 | 455.65 |
| 9 | उत्तर प्रदेश | 1670 | 926.86 |
| | कुल | **9594** | **4624.01** |

2. शहरी- आयुष्मान आरोग्य मंदिर (यू-एएएम)

| स्वीकृतियां वित्त वर्ष 2021-22 से 2024-25 तक (4 वर्ष) | | | |
|---|---|---|---|
| क्र.सं. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | 4 वर्षों के लिए स्वीकृत कुल इकाईयां | कुल स्वीकृत राशि (करोड़ रु.में) |
| 1 | अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह | 4 | 3.00 |
| 2 | आंध्र प्रदेश | 45 | 70.25 |
| 3 | असम | 0 | 0.00 |
| 4 | चंडीगढ़ | 19 | 29.93 |
| 5 | दमन और दीव | 3 | 4.50 |
| 6 | दिल्ली* | 0 | 0.00 |
| 7 | गुजरात | 82 | 44.00 |
| 8 | हिमाचल प्रदेश | 26 | 39.00 |
| 9 | जम्मू एवं कश्मीर | 69 | 97.76 |
| 10 | कर्नाटक | 817 | 512.05 |
| 11 | मणिपुर | 0 | 0.00 |
| 12 | मिजोरम | 0 | 0.00 |
| 13 | ओडिशा | 140 | 32.20 |
| 14 | पुदुचेरी | 21 | 34.50 |
| 15 | राजस्थान | 371 | 455.86 |
| 16 | तमिलनाडु | 500 | 93.00 |
| 17 | तेलंगाना | 500 | 257.00 |
| 18 | उत्तर प्रदेश | 250 | 187.50 |
| 19 | पश्चिम बंगाल | 204 | 153.00 |
| कुल | | **3051** | **2013.55** |

### 3. ब्लॉक जन स्वास्थ्य इकाइयाँ (बीपीएचयू)

| क्र.सं. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | स्वीकृतियां वित्त वर्ष 2021-22 से 2024-25 तक (4 वर्ष) | |
|---|---|---|---|
| | | 4 वर्षों के लिए स्वीकृत कुल इकाईयां | कुल राशि स्वीकृत (करोड़ रु.में) |
| 1 | असम | 142 | 129.66 |
| 2 | बिहार | 59 | 47.77 |
| 3 | छत्तीसगढ़ | 54 | 53.79 |
| 4 | हिमाचल प्रदेश | 50 | 51.56 |
| 5 | जम्मू एवं कश्मीर | 200 | 213.89 |
| 6 | झारखंड | 100 | 99.50 |
| 7 | मध्य प्रदेश | 119 | 106.91 |
| 8 | ओडिशा | 119 | 118.44 |
| 9 | राजस्थान | 111 | 107.29 |
| 10 | उत्तर प्रदेश | 311 | 318.77 |
| 11 | उत्तराखंड | 59 | 52.60 |
| | कुल | **1324** | **1300.18** |

### 4. एकीकृत जन स्वास्थ्य प्रयोगशालाएँ (आईपीएचएल)

| क्र.सं. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | स्वीकृतियां वित्त वर्ष 2021-22 से 2024-25 तक (4 वर्ष) | |
|---|---|---|---|
| | | 4 वर्षों के लिए स्वीकृत कुल इकाईयां | कुल स्वीकृत राशि (करोड़ रु.में) |
| 1 | अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह | 3 | 3.75 |
| 2 | आंध्र प्रदेश | 23 | 37.57 |
| 3 | अरुणाचल प्रदेश | 14 | 26.33 |
| 4 | असम | 24 | 36.37 |
| 5 | बिहार | 12 | 15.00 |
| 6 | चंडीगढ़ | 0 | 0.00 |
| 7 | छत्तीसगढ़ | 21 | 39.49 |
| 8 | दादरा व नगर हवेली और दमन व दीव | 0 | 0.00 |
| 9 | दिल्ली | 0 | 0.00 |
| 10 | गोवा | 0 | 0.00 |
| 11 | गुजरात | 24 | 44.70 |
| 12 | हरियाणा | 14 | 26.32 |
| 13 | हिमाचल प्रदेश | 7 | 12.67 |
| 14 | जम्मू एवं कश्मीर | 14 | 26.33 |
| 15 | झारखंड | 17 | 30.57 |
| 16 | कर्नाटक | 21 | 39.49 |
| 17 | केरल | 10 | 18.38 |
| 18 | लद्दाख | 2 | 2.50 |

| क्र.सं. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | स्वीकृतियां वित्त वर्ष 2021-22 से 2024-25 तक (4 वर्ष) | |
|---|---|---|---|
| | | 4 वर्षों के लिए स्वीकृत कुल इकाईयां | कुल स्वीकृत राशि (करोड़ रु.में) |
| 19 | लक्षद्वीप | 1 | 1.25 |
| 20 | मध्य प्रदेश | 39 | 60.03 |
| 21 | महाराष्ट्र | 25 | 45.48 |
| 22 | मणिपुर | 11 | 21.11 |
| 23 | मेघालय | 7 | 13.16 |
| 24 | मिजोरम | 7 | 13.16 |
| 25 | नागालैंड | 7 | 13.16 |
| 26 | ओडिशा | 21 | 39.20 |
| 27 | पुदुचेरी | 3 | 5.22 |
| 28 | पंजाब | 14 | 26.33 |
| 29 | राजस्थान | 24 | 42.98 |
| 30 | सिक्किम | 3 | 5.22 |
| 31 | तमिलनाडु | 28 | 52.66 |
| 32 | तेलंगाना | 24 | 44.72 |
| 33 | त्रिपुरा | 4 | 6.94 |
| 34 | उत्तर प्रदेश | 53 | 103.76 |
| 35 | उत्तराखंड | 10 | 13.48 |
| 36 | पश्चिम बंगाल | 17 | 31.54 |
| | कुल | **504** | **898.86** |

5. क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल ब्लॉक (सीसीबी)

| क्र.सं. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | स्वीकृतियां वित्त वर्ष 2021-25 (4 वर्ष) | |
|---|---|---|---|
| | | 4 वर्षों के लिए स्वीकृत कुल इकाईयां | कुल स्वीकृत राशि (करोड़ रु.में) |
| 1 | अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह | 1 | 23.75 |
| 2 | आंध्र प्रदेश | 16 | 380.00 |
| 3 | अरुणाचल प्रदेश | 0 | 0.00 |
| 4 | असम | 17 | 412.93 |
| 5 | बिहार | 12 | 401.30 |
| 6 | चंडीगढ़ | 1 | 23.75 |
| 7 | छत्तीसगढ़ | 15 | 425.10 |
| 8 | दादरा व नगर हवेली और दमन व दीव | 0 | 0.00 |
| 9 | दिल्ली | 0 | 0.00 |
| 10 | गोवा | 0 | 0.00 |
| 11 | गुजरात | 22 | 704.01 |
| 12 | हरियाणा | 15 | 425.10 |
| 13 | हिमाचल प्रदेश | 4 | 95.00 |
| 14 | जम्मू एवं कश्मीर | 4 | 95.00 |

| क्र.सं. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | स्वीकृतियां वित्त वर्ष 2021-25 (4 वर्ष) | |
|---|---|---|---|
| | | 4 वर्षों के लिए स्वीकृत कुल इकाईयां | कुल स्वीकृत राशि (करोड़ रु.में) |
| 15 | झारखंड | 15 | 427.51 |
| 16 | कर्नाटक | 21 | 617.16 |
| 17 | केरल | 10 | 251.27 |
| 18 | मध्य प्रदेश | 35 | 900.13 |
| 19 | महाराष्ट्र | 24 | 635.85 |
| 20 | मणिपुर | 0 | 0.00 |
| 21 | मेघालय | 0 | 0.00 |
| 22 | मिजोरम | 1 | 23.75 |
| 23 | नगालैंड | 0 | 0.00 |
| 24 | ओडिशा | 21 | 581.40 |
| 25 | पुदुचेरी | 0 | 0.00 |
| 26 | पंजाब | 17 | 508.49 |
| 27 | राजस्थान | 24 | 680.99 |
| 28 | सिक्किम | 1 | 23.75 |
| 29 | तमिलनाडु | 28 | 856.52 |
| 30 | तेलंगाना | 21 | 581.40 |
| 31 | त्रिपुरा | 0 | 0.00 |
| 32 | उत्तर प्रदेश | 49 | 1915.35 |
| 33 | उत्तराखंड | 4 | 95.00 |
| 34 | पश्चिम बंगाल | 17 | 530.19 |
| | कुल | **395** | **11614.71** |

अनुलग्नक- II

पीएम-एबीएचआईएम योजना के प्रारंभ से लेकर वित्त वर्ष 2024-25 तक इसके अंतर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार केन्द्रीय निर्गत राशि और इस पर हुआ व्यय

करोड़ रु.में

| क्र.सं. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम | 2021-22 | | 2022-23 | | 2023-24 | | 2024-25 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | केंद्रीय निर्गत राशि | व्यय | केंद्रीय निर्गत राशि | व्यय | केंद्रीय निर्गत राशि | व्यय | केंद्रीय निर्गत राशि | व्यय |
| 1 | अंडमान व निकोबार द्वीप समूह | - | - | 1.11 | 0.00 | - | - | 1.05 | 0.47 |
| 2 | आंध्र प्रदेश | 3.75 | 0.00 | 15.76 | 6.25 | 35.78 | 28.85 | 29.32 | 36.17 |
| 3 | अरुणाचल प्रदेश | 0.56 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 8.83 | 2.25 | 0.00 | 0.10 |
| 4 | असम | 57.90 | 0.00 | 2.26 | 1.16 | 91.45 | 68.45 | 103.09 | 89.84 |
| 5 | बिहार | 125.86 | 0.00 | 7.17 | 0.00 | 0.00 | 50.69 | 0.00 | 47.21 |
| 6 | चंडीगढ़ | 0.00 | 0.00 | 4.79 | 1.73 | 10.38 | 5.83 | 5.13 | 3.11 |
| 7 | छत्तीसगढ़ | 11.25 | 0.00 | 1.34 | 11.01 | 32.23 | 19.64 | 14.66 | 23.27 |
| 8 | दादरा नगर हवेली और दमन और दीव | - | - | 0.24 | 0.00 | 0.28 | 0.21 | 0.53 | 0.47 |
| 9 | गोवा | - | - | 0.06 | 0.00 | 3.75 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
| 10 | गुजरात | - | - | 29.54 | 32.24 | 46.04 | 56.13 | 79.38 | 80.11 |
| 11 | हरियाणा | 11.06 | 0.00 | 1.31 | 0.00 | 17.67 | 16.63 | 0.00 | 26.46 |
| 12 | हिमाचल प्रदेश | - | - | 28.05 | 9.98 | 15.69 | 15.27 | 23.11 | 20.00 |
| 13 | जम्मू एवं कश्मीर | 16.11 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 44.01 | 36.67 | 60.44 | 49.30 |
| 14 | झारखंड | 44.70 | 0.00 | 183.04 | 240.87 | 102.27 | 454.05 | 21.27 | 226.57 |
| 15 | कर्नाटक | 11.25 | 0.00 | 37.10 | 18.75 | 100.57 | 104.47 | 69.50 | 107.36 |
| 16 | केरल | 3.75 | 0.00 | 24.89 | 4.72 | 0.00 | 36.66 | 16.45 | 20.89 |
| 17 | लद्दाख | - | - | - | - | 0.62 | 0.31 | 0.31 | 0.31 |
| 18 | लक्षद्वीप | - | - | 0.63 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.39 |
| 19 | मध्य प्रदेश | 22.85 | 0.00 | 98.70 | 99.43 | 228.52 | 300.93 | 60.04 | 208.94 |
| 20 | महाराष्ट्र | 17.45 | 0.00 | 4.07 | 0.00 | 31.76 | 34.47 | 34.71 | 36.04 |
| 21 | मणिपुर | 4.56 | 0.00 | 10.92 | 4.56 | 13.78 | 16.89 | 5.74 | 12.56 |
| 22 | मेघालय | 9.65 | 0.00 | 43.28 | 8.80 | 4.42 | 28.02 | 1.85 | 20.49 |
| 23 | मिजोरम | 0.28 | 0.00 | 1.52 | 0.27 | 4.52 | 1.32 | 1.96 | 5.03 |
| 24 | नागालैंड | 0.28 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 4.42 | 0.60 | 0.00 | 1.08 |
| 25 | ओडिशा | 32.15 | 0.00 | 211.46 | 258.55 | 171.58 | 423.43 | 98.24 | 151.50 |
| 26 | पुदुचेरी | 0.42 | 0.00 | 0.19 | 0.62 | 2.67 | 2.88 | 1.25 | 2.11 |
| 27 | पंजाब | - | - | 24.16 | 0.00 | 0.00 | 2.07 | 1.14 | 30.46 |
| 28 | राजस्थान | 45.37 | 0.00 | 83.59 | 108.50 | 173.06 | 280.43 | 67.31 | 99.14 |
| 29 | सिक्किम | - | - | 0.75 | 0.26 | 3.88 | 2.05 | 0.84 | 3.19 |
| 30 | तमिलनाडु | 17.45 | 29.08 | 150.42 | 183.35 | 279.36 | 389.37 | 168.72 | 418.55 |
| 31 | तेलंगाना | 11.25 | 0.00 | 53.88 | 83.75 | 95.21 | 141.73 | 108.65 | 178.21 |
| 32 | त्रिपुरा | 0.00 | - | 0.90 | 0.38 | 2.48 | 1.43 | 2.12 | 3.15 |
| 33 | उत्तर प्रदेश | 124.63 | 0.00 | 173.71 | 254.04 | 247.96 | 252.69 | 400.95 | 340.09 |
| 34 | उत्तराखंड | 1.56 | 0.00 | 32.31 | 1.60 | 0.00 | 16.35 | 18.43 | 15.81 |
| 35 | पश्चिम बंगाल | 9.95 | 0.00 | 0.00 | 9.75 | 30.91 | 49.78 | 71.98 | 52.41 |

टिप्पण:

1. वित्त वर्ष 2021-22 - पीएम-एबीएचआईएम को अक्टूबर, 2021 में लॉन्च किया गया। तदनुसार, वित्त वर्ष 2021-22 में केंद्र द्वारा जारी की गई राशि का उपयोग अगले वर्ष में किया गया।

2. वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए निर्गत राशि 03.03.2025 तक अद्यतन की गई है तथा यह अनंतिम है।

3. उपरोक्त निर्गत राशियां केन्द्र सरकार के अनुदान से संबंधित हैं तथा इसमें राज्य का अंशदान शामिल नहीं है।

4. व्यय में केंद्रीय निर्गत राशि, राज्य निर्गत राशि और वर्ष की शुरुआत में अव्ययित शेष राशि के सापेक्ष व्यय शामिल है। व्यय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रस्तुत एफएमआर के अनुसार है और अनंतिम है। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए व्यय 31.03.2024 तक अद्यतन किया गया है और अनंतिम है। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए व्यय 31.01.2025 तक अद्यतन (अरुणाचल प्रदेश और चंडीगढ़ को छोड़कर 31.12.2024 तक) किया गया है।

अनुलग्नक- III

| क्र.सं. | राज्य | बनाए गए आभा कार्ड | स्वास्थ्य पेशेवर रजिस्ट्री (एचपीआर) में सत्यापित पंजीकरण | स्वास्थ्य सुविधा केंद्र में सत्यापित पंजीकरण (एचएफआर) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | अंडमान व निकोबार द्वीप समूह | 4,49,668 | 628 | 229 |
| 2 | आंध्र प्रदेश | 4,35,85,733 | 58,967 | 19,867 |
| 3 | अरुणाचल प्रदेश | 4,02,187 | 2,382 | 573 |
| 4 | असम | 1,96,21,600 | 20,193 | 10,713 |
| 5 | बिहार | 4,34,30,731 | 34,373 | 14,803 |
| 6 | चंडीगढ़ | 9,03,512 | 4,116 | 572 |
| 7 | छत्तीसगढ़ | 2,28,37,152 | 16,397 | 10,789 |
| 8 | दिल्ली | 86,64,778 | 13,520 | 1,653 |
| 9 | गोवा | 8,88,971 | 3,010 | 799 |
| 10 | गुजरात | 4,73,20,803 | 19,088 | 17,427 |
| 11 | हरियाणा | 1,58,74,361 | 10,885 | 5,080 |
| 12 | हिमाचल प्रदेश | 61,14,359 | 2,974 | 4,025 |
| 13 | जम्मू और कश्मीर | 93,23,007 | 10,295 | 4,833 |
| 14 | झारखंड | 1,42,83,211 | 13,211 | 5,480 |
| 15 | कर्नाटक | 3,20,81,126 | 62,474 | 61,534 |
| 16 | केरल | 2,53,75,613 | 37,739 | 9,986 |
| 17 | लद्दाख | 3,89,567 | 697 | 391 |
| 18 | लक्षद्वीप | 1,05,953 | 232 | 45 |
| 19 | मध्य प्रदेश | 4,84,08,106 | 12,952 | 16,396 |
| 20 | महाराष्ट्र | 5,80,18,457 | 48,932 | 25,341 |
| 21 | मणिपुर | 10,00,180 | 2,550 | 501 |
| 22 | मेघालय | 13,02,085 | 876 | 715 |
| 23 | मिजोरम | 6,53,890 | 2,875 | 745 |
| 24 | नागालैंड | 7,39,484 | 1,105 | 1,216 |
| 25 | ओडिशा | 3,69,61,566 | 754 | 9 |
| 26 | पुदुचेरी | 11,49,617 | 2,663 | 415 |
| 27 | पंजाब | 1,38,22,089 | 13,891 | 7,783 |
| 28 | राजस्थान | 6,22,90,186 | 36,271 | 35,734 |
| 29 | सिक्किम | 4,36,843 | 1,154 | 234 |
| 30 | तमिलनाडु | 1,49,18,722 | 7,645 | 6,208 |
| 31 | तेलंगाना | 2,38,99,439 | 21,136 | 16,489 |
| 32 | दादरा नगर हवेली और दमन और दीव | 8,25,737 | 1,064 | 461 |
| 33 | त्रिपुरा | 23,03,229 | 4,916 | 2,604 |
| 34 | उत्तर प्रदेश | 13,09,89,173 | 79,836 | 62,912 |
| 35 | उत्तराखंड | 69,89,525 | 7,869 | 5,859 |
| 36 | पश्चिम बंगाल | 4,64,68,259 | 710 | 12,464 |
| 37 | कुल योग | **75,66,01,053*** | **5,58,380** | **3,64,885** |

* इसमें 1,37,72,134 आभा नंबर शामिल हैं, जिनके लिए राज्य का नाम नहीं भरा गया है क्योंकि जनसांख्यिकीय प्रमाणीकरण के माध्यम से आभा कार्ड बनाए जाने के दौरान राज्य और जिले का नाम भरना अनिवार्य नहीं था। सितंबर 2023 में, राज्य और जिले का नाम भरना अनिवार्य कर दिया गया है।

*****